

जिन विद्यार्थियों को अपनी नौकरियाँ व रिसर्च छोड़नी पड़ी है, फ्रांस ने उन्हें आमंत्रित किया

चीन ने भी ऐसे लोगों को अपने देश में आने का न्यौता दिया, काम करने के लिए व रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 मई। कुछ दिन पहले एक फ्रांसीसी मंत्री ने एक टीवी साक्षात्कार में घोषणा की कि अमेरिका में अपनी नौकरियाँ और शोध पद छो चुके वैज्ञानिकों का फ्रांस में स्वागत किया जाएगा और यदि वे स्थानांतरित होना चाहें तो उन्हें फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों में स्थान मिल सकता है।
अब चीन ने भी अमेरिकी वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। यह सिलसिला तब से चल रहा है, जब डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की फण्डिंग में तीव्र कटौती की थी। हावर्ड विश्वविद्यालय में कम से कम एक चौथाई छात्र विदेशों से पढ़ने आते हैं।
इसके अलावा, तथाकथित सरकारी दक्षता विभाग (डिपार्ट्मेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएन्सी डी.ओ.जी.ई.) की नीतियों के तहत, अमेरिका भर में वैसिक साइंस और फण्डामेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फण्डिंग से वंचित कर दिया गया है।

- जैसा कि विदित ही है, ट्रम्प सरकार ने अमेरिका की युनिवर्सिटीज़ व रिसर्च संस्थाओं को मिलने वाले सरकार के अनुदान में भारी कमी की है।
- अभी तक हावर्ड, जैसी आईबी लीग उच्चतम स्तर की युनिवर्सिटीज़ में एक चौथाई विद्यार्थी विदेशी ही हुआ करते थे और फण्डिंग कम होने से इन विदेशी मेधावी विद्यार्थियों की संख्या में भारी कमी आयी है।
- हावर्ड के बारे में कहा जाता था कि अगर आप इस युनिवर्सिटी की सड़कों पर घूमने निकलें तो हर चौराहे पर कोई न कोई नोबल पुरस्कार विजेता व्यक्ति मिल जाता था।
- स्वाभाविक ही है, चीन व फ्रांस इन मेधावी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए भारी सुविधा व अनुदान देने का वादा कर रहे हैं।
- पर, अमेरिका ने हावर्ड में विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जैसे कि इतना नुकसान ही काफी नहीं था, ट्रंप प्रशासन ने हावर्ड विश्वविद्यालय पर अंतरराष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा

और उच्चस्तरीय वैज्ञानिक तथा अन्य अनुसंधानों के लिए जाना जाता है, अकैडमिक स्टडीज़ और रिसर्च के लिए सर्वोत्तम विद्यार्थियों और शिक्षकों को चुनता है। अब यह नया प्रतिबंध विश्वविद्यालय को उच्चकोटि के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से वंचित कर देगा।
इससे न केवल नये विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश बाधित होगा, बल्कि वैध विद्यार्थी वीजा रखने वाले वर्तमान विद्यार्थियों को भी अन्य विकल्प खोजने होंगे। समस्या यह है कि यह विश्वविद्यालय, जो क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च, विशेष रूप से साइन्स, टेक्नॉलजी, इंजीनियरिंग और मैथेमैटिक्स विषयों, में सबसे आगे रहा है, अब “ब्रेनड्रेन” का सामना करेगा।
हावर्ड विश्वविद्यालय और अन्य आइवी लीग संस्थान अमेरिका की विज्ञान और लिबरल आर्ट्स में श्रेष्ठता के गढ़ हैं। ये विश्वविद्यालय अमेरिकी उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और सैन्य शोध के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं, जिसके कारण अमेरिका नये ज्ञान के क्षेत्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिश्तत प्रकरण में विधायक पटेल को जमानत नहीं मिली

जयपुर, 23 मई। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 ने विधानसभा में उठाए गए सवालों को वापस लेने के बदले रिश्तत लेने से जुड़े प्रकरण में बागीदारा के एमएलए जयकृष्ण पटेल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर आरोप है कि उसने संगठित गिरोह बनाकर ढाई करोड़ रुपये की रिश्तत मांगी और पहली किश्त के रूप में 20 लाख रु. लेकर गिराह के जरिए उसे खुर्दबुर्द कर दिया। यह मामला गंभीर है और उसे जमानत देने से समाज पर गलत संदेश जाएगा। वह मौजूदा एमएलए है और मामले के अनुसंधान को प्रभावित

- एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत की अर्जी खारिज की।

कर सकता है। मामले में अनुसंधान लंबित है। ऐसे में उसे जमानत दिया जाना उचित नहीं है।
आरोपी एमएलए की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि जिन सवालों को वापस लेने की बात कही जा रही है, वह विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका था। ऐसे में उसके पास परिवारी का कोई काम लंबित नहीं था और ना ही वह सक्षम था। शिकायतकर्ता ने परिवार में 2.50 लाख रुपए की राशि बताई है, लेकिन उस पर 2.50 करोड़ रुपए की रिश्तत मांगने का आरोप है। अर्जी में कहा गया है कि प्राथ्ी प्रतिष्ठित व्यक्ति व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘तमन्ना भाटिया को ‘‘मैसूर संदल सोप’’ का ‘‘ब्रैंड एंबेसडर’’ कैसे बनाया’

सरकारी कम्पनी, कर्नाटक सोप्स एण्ड डिटरजेंट्स लिमिटेड, जो मैसूर संदल सोप के निर्माता हैं, को ‘‘कट्टरपंथी कन्नड़ भाषियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
बेंगलुरु, 23 मई। अब भाषा को लेकर कट्टरता कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने तमन्ना भाटिया को मैसूर संदल साबुन का ब्रैंड एंबेसडर बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।
“बाहुबली” जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों और कई अन्य दक्षिण भारतीय फिल्मों में दमदार अभिनय के लिए मशहूर अभिनेत्री तमन्ना को कर्नाटक सोप्स एंड डिटरजेंट्स लिमिटेड (केएसडीएल) ने अपने सबसे लोकप्रिय और सुगंधित उत्पाद, मैसूर संदल साबुन, के प्रचार के लिए चुना है। इसके पीछे उनकी देशव्यापी लोकप्रियता, डिजिटल पहुंच और फ़ैफायती शर्तों को वजह बताया गया है।
तमन्ना की हाल की फिल्म ओडेला 2 रही है, और अगली फिल्म, वी वन-फोर्स ऑफ़ दे फ़ैरिस्ट में वे सिद्धार्थ मल्लोत्रा के साथ नज़र आएंगीं।
हालांकि, कन्नड़ भाषा कार्यकर्ता इस चयन से नाराज़ हैं और सवाल उठा रहे हैं कि एक गैर-कन्नड़ अभिनेत्री को पूरी तरह से कर्नाटक की विरासत माने जाने वाले उत्पाद का चेहरा क्यों बनाया गया।

- जैसा कि विदित ही है, तमन्ना भाटिया, दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और उनकी फिल्में, जैसे बाहुबली, साउथ इण्डिया में बहुत पसंद की गईं और उत्तर भारत में भी तमन्ना की फिल्मों को सराहा गया।
- कन्नड़ भाषियों के विरोध का जवाब देने के लिए, कर्नाटक के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तक को आगे आना पड़ा और कहना पड़ा कि तमन्ना भाटिया को ब्रैंड एंबेसडर बनाकर कम्पनी अपना मार्केट ऑल इण्डिया बनाना चाहती है।
- पर, विरोध अभी थमा नहीं है, कट्टरपंथी कन्नड़ भाषियों ने मु.मंत्री के समक्ष भी शिकायत रखी है कि एक शुद्ध जाने माने कर्नाटक के प्रोडक्ट के लिए गैर कर्नाटक को ब्रैंड एंबेसडर बनाना पूर्णतया गैर वाजिब है।

कर्नाटक सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग, बुनियादी ढांचा मंत्री एम.बी. पाटिल ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह निर्णय तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया गया है, जैसे देशभर में लोकप्रियता, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, और युवाओं के बीच अपील। तमन्ना को दो साल के अनुबंध के तहत 6.2 करोड़ रुपये में साइन किया गया है।
मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, केएसडीएल का लक्ष्य 2028 तक अपने टर्नओवर को 5,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए बहुआयामी रणनीतियों के तहत संगठन का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने तमन्ना को ब्रैंड एंबेसडर बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कौन ‘‘जयचंद’’ है और कौन ‘‘मीर ज़ाफर’’?

कांग्रेस व भाजपा ने एक दूसरे पर व्यंग्य के बाण छोड़े

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 मई। मोदी सरकार पर दबाव बनाए रखते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ‘‘ऑपरेशन सिंदूर’’ के सिलसिले में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से तीखे सवाल किए हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज दावा किया कि भारत की विदेश नीति ‘‘ध्वस्त हो चुकी है।’’ राहुल ने पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ ‘‘हाइफ्रनेट’’ (एक ही श्रेणी में जोड़कर) क्यों देखा जा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को भारत-पाक के बीच ‘‘मध्यस्थता’’ की बात कहने के लिए किसमें उकसाया।
कांग्रेस नेताओं ने विदेश मंत्री पर हमले तेज कर दिए हैं व उन्हें ‘‘जयचंद जयशंकर’’ कह रहे हैं।
राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया: ‘‘मोदी जी, खोखली बातें बंद कीजिए। बस इतना बता दीजिए, आपने पाकिस्तान के आतंकवाद पर दिए गए बयान पर यकीन क्यों किया? ट्रंप के

- भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में की गई टिप्पणियों को पाकिस्तान समर्थक बताकर, राहुल को ‘‘मॉडर्न एज (आज का) मीर ज़ाफर’’ बताया।
- तथा, कांग्रेस ने विदेश मंत्री जयशंकर को जे.जे. यानी ‘‘जयचंद जयशंकर’’ की उपाधि दी तथा भारत की वायु सेना के हवाई हमले की पूर्व सूचना पाकिस्तान को देने की तथा ट्रम्प को यह बात फैलाने का पूरा अवसर देने के लिए कि उनकी मध्यस्थता से भारत-पाक ‘‘सीज़फायर’’ हुई. जयशंकर पर देश की स्थिति कमज़ोर करने का आरोप लगाया।

सामने झुककर आपने भारत के हितों की बलि क्यों दी? आपका खून सिर्फ केमरे के सामने ही क्यों खौलता है? आपने भारत की प्रतिष्ठा से समझौता किया है।’’
जयचंद की उपमा प्रसिद्ध काव्य ‘‘पृथ्वीराज रासो’’ से ली गई है, जिसमें जयचंद को एक ऐसे राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने मोहम्मद गौरी से मिलकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ षड्यंत्र किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल दो दिन दिल्ली रहेंगे

जयपुर, 23 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए शुक्रवार शाम जयपुर से रवाना होकर दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम जोधपुर हाउस में करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री सुबह 8.30 बजे जोधपुर हाउस से रवाना होकर 8.45 से 4 बजे तक भारत मण्डपम में होने वाली

- नीति आयोग व एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे।

नीति आयोग की गर्वीनंग काउन्सिल की 10वीं बैठक में भाग लेंगे।
मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली स्थित होटल द अशोक में एन.डी.ए. शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप-मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लेंगे।

‘महिला अफसर को ‘‘रिलीज़’’ न करने के आदेश दिये सुप्रीम कोर्ट ने

विंग कमांडर निकिता पाण्डेय का ‘‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’’ के अफसर के रूप में कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 23 मई। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरव्ामी को केन्द्र एवं इंडियन एयर फोर्स को निर्देश दिये कि उन महिला ऑफिसर को सेवामुक्त न किया जाये, जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का हिस्सा रही हैं तथा जिन्हें स्थाई कमीशन नहीं दिया गया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा एन कोटीशर सिंह की बेंच ने केन्द्र और आई ए एफ से विंग कमांडर निकिता पाण्डेय की याचिका पर जवाब मांगे हैं। ऑफिसर ने याचिका में कहा था कि उन्हें स्थाई कमीशन नहीं देने के मामले में उनके साथ भेदभाव किया गया है।
बेंच ने आई ए एफ को एक प्रोफेशनल फोर्स बताया और कहा कि सेवा को लेकर अनिश्चितता ऐसे ऑफिसर्स के लिए अच्छी चीज नहीं है। न्यायमूर्ति कान्त ने कहा, ‘‘हमारी एयरफोर्स विश्व के सर्वोत्तम

- सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि निकिता पाण्डेय ने ऑपरेशन बालाकोट व सिंदूर में जिम्मेवारी बहुत अच्छी तरह निभाई थी। पर, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अफसरों का कार्यकाल पूरा होने पर कुछ अफसरों को रिटायर किया ही जाता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने वायु सेना प्रशासन को कहा कि निकिता पाण्डेय के लिये एक बार और सलैक्शन बोर्ड बैठकर पुनः उनकी योग्यता जाँची जाए और फिर उन्हें रिटायर करने या न करने का निर्णय लिया जाए।

ऑर्गनाइजेशनस में से एक है। आई ए एफ ने समन्वय की जो गुणवत्ता प्रदर्शित की है, मेरे विचार से तो वह अद्वितीय है। इसीलिए, हम सदैव उन्हें सैल्यूट करते हैं। वे राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी हैं। एक प्रकार से, वे राष्ट्र का प्रतिरूप हैं। उनकी बदौलत ही, हम रात को निश्चित सो पाते हैं।’’
बेंच ने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन (एस एस सी) ऑफिसरों का

समझौता नहीं किया जा सकता।’’
ऑफिसर की ओर प्रस्तुत हुई वरिष्ठ एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि उनकी मुवाकिल एक एक्सपर्ट फाइटर कन्ट्रोलर हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में तैनात ‘इन्टीग्रेटेड एयर कमांड एंड कन्ट्रोल सिस्टम्स (आई ए सी सी एस) में एक विशेषज्ञ के रूप में काम किया है।
वरिष्ठ एडवोकेट ने कहा कि ये ऑफिसर साढ़े तेरह साल से अधिक समय से सेवा में हैं, लेकिन ये 2019 की एक नीति से प्रभावित रही, जिसमें उन्हें स्थाई कमीशन दिये जाने से इनकार कर दिया था तथा उन्हें एक महीने के बाद उन्हें अपनी सेवाओं की समाप्ति के लिए बाध्य कर दिया गया।
गुरुस्वामी ने आगे बताया कि इस ऑफिसर ने देश में एक्सपर्ट एयर फाइटर कन्ट्रोलर्स की मैरिट लिस्ट में दूसरी रैंक हासिल की थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा में बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं

नई दिल्ली, 23 मई। राजस्थान के कोटा में छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर कोटा में ही आत्महत्या के मामले क्यों हो रहे हैं। कोर्ट ने भजनलाल सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और एसआईटी के गठन की जानकारी ली है। यह

- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा, इस मामले में सरकार क्या कर रही है।

घटनाक्रम 23 मई 2025 को सामने आया, जब कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इस साल अब तक कोटा में 14 सुसाइड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉ. सतीश मिश्रा-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 मई। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के चरम पर इस्लामाबाद को आईएमएफ ऋण दिए जाने से रोकने में बुरी तरह असफल रहने के बाद, भारत अब इस प्रयास में जुटा है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाए।
साउथ ब्लॉक के शीर्ष भारतीय अधिकारियों ने आज बताया कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर भारत द्वारा प्रस्तुत डोजियर के अलावा, एफएटीएफ की अपनी समीक्षा भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए पर्याप्त मानी जाएगी।

पाकिस्तान को 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था, इस शर्त पर कि वह वित्तीय अपराधों और मनी लॉण्डरिंग को रोकने के लिए एक कानून पारित करेगा।
अधिकारियों ने कहा, ‘‘वह कानून अब तक नहीं बना है। इसलिए पाकिस्तान की ओर से की गई गलतियों और कुछ जानबूझकर की गई कार्यवाहियों की भी लिस्ट है। एफएटीएफ खुद भी समझ लेगा कि जिस कानून का पाकिस्तान ने वादा किया था, वह कहीं नहीं है और यह पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए पर्याप्त आधार होगा। हम भारतीय डोजियर से अलग होगा। हम भी निश्चित रूप से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए ठोस केस बनाएंगे।’’

- पर, भारत पूरा जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान को पुनः ‘‘ग्रे लिस्ट’’ में डाला जाए, क्योंकि, पाकिस्तान यह नया कानून लाने में असमर्थ रहा।
- भारत यह भी दलील दे रहा है कि जब पाकिस्तान को आईएमएफ आदि से ऋण मिलता है, उसको हथियारों की खरीद में भारी उछाल आता है।
- भारत को इस बात का काफी अफसोस है कि आईएमएफ ने ‘‘पहलगाम आक्रमण’’ के बाद भी आईएमएफ ने ग्यारह शर्तें लगाकर एक बिलियन डॉलर का पैकेज दिया तथा पैकेज पाकिस्तान को न मिले इसके लिए भारत की प्लानिंग असफल रही। अतः अब भारत दुगुने प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान कम से कम ‘‘ग्रे लिस्ट’’ में रहे।

एफएटीएफ में भारत का जो रुख है, वह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए

आतंकी हमले में 26 भारतीयों की मौत के बाद बहुपक्षीय एजेंसियों के समक्ष रखे गये उसके रुख का ही विस्तार है।
अधिकारियों ने दावा किया कि भारत ने आईएमएफ के सभी सदस्य देशों से भी संपर्क किया, ताकि पहलगाम हमले के बाद की समीक्षा के समय पाकिस्तान से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति न मिले, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं रहा, भारतीय कूटनीति विफल हो गई।
अधिकारियों ने कहा, ‘‘हालांकि आईएमएफ के सदस्य देशों ने आगे बढ़ते हुए ऋण को मंजूरी दे दी, जिसे भारत पूरी कोशिश करके भी रोक नहीं पाया, अधिकारी इसके आगे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।’’

सूत्रों ने कहा, ‘‘हम किसी भी देश को विकास सहायता देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आईएमएफ बैठक का समय संदिग्ध था। हमने उसे रोकने की भरसक कोशिश की।’’
यह भी जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जीवा से बैठक को टालने की अपील की, और आईएमएफ के खुद के आंकड़ों की ओर ध्यान दिलाया, जो दिखाते हैं कि हर आईएमएफ के बाद पाकिस्तान का रक्षा खर्च बढ़ गया है।
हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की परियोजना-विशिष्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिवंगत पुत्र की सम्पत्ति में मां को भी समान हिस्सा दें

जयपुर, 23 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिवंगत पुत्र की संपत्ति में उसकी मां को भी मृतक की पत्नी और पुत्र के समान राशि प्राप्त करने का अधिकारी माना है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश हेमलता शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- हाईकोर्ट ने मृतक की पत्नी और बेटे को बराबर हिस्सा मां को देने के आदेश दिए।

अदालत ने कहा कि मृतक के बेटे और पत्नी के समान मां भी एक-तिहाई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व में प्राप्त की गई राशि में से अप्राथीगण पुत्रवधू वंदना त्रिपाठी व पौत्र चर्चित को याचिकाकर्ता की हिस्सा राशि लौटाने के आदेश दिए हैं।
याचिका में अधिवक्ता संपत्ति शर्मा ने बताया कि सेशन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से साल 2021 में पेश प्रार्थना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)